



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102021-230446
CG-DL-E-16102021-230446

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 311]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 14, 2021/आश्विन 22, 1943

No. 311]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 14, 2021/ASVINA 22, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2021

सं. 28 / 2015-2020

विषय: वर्ष 2021-22 हेतु टीआरक्यू स्कीम के अंतर्गत यूएसए को 8424 मीट्रिक टन (खांड/परिष्कृत) चीनी की मात्रा का आवंटन।

फा. सं. 01/91/180/879/एम-08/निर्यात प्रकोष्ठ/(खण्ड VIII)/ई-20749.-विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा वर्ष 2021-22 (30 सितम्बर, 2022 तक) हेतु यूएसए को प्रशुल्क दर कोटे (टीआरक्यू) के अंतर्गत 8424 मीट्रिक टन खांड/परिष्कृत चीनी की मात्रा का आवंटन करते हैं।

2. अधिसूचना सं. 3/2015-20, दिनांक 20.04.2015 के अनुसार, टीआरक्यू के अंतर्गत यूएसए को चीनी (एचएस कोड 17010000) का निर्यात, उपरोक्त अधिसूचना में 'प्रतिबंधों के स्वरूप' में अधिसूचित शर्तों के अधीन "मुक्त" है।

3. यूएसए को चीनी के तरजीही निर्यात हेतु उद्गम प्रमाण-पत्र, यदि अपेक्षित हो, अपर महानिदेशक विदेश व्यापार, मुम्बई द्वारा जारी किया जाएगा। यूएसए को चीनी के निर्यात हेतु विशिष्ट रूप से विनिर्दिष्ट प्रमाणन सम्बन्धी अन्य आवश्यकता, यदि कोई हो, का पालन जारी रहेगा।

4. अधिसूचना सं. 20 दिनांक 07.09.2015 के साथ पठित अधिसूचना सं. 3/2015-2020, दिनांक 20.04.2015 द्वारा यथा अधिसूचित रिपोर्टिंग की शर्त का अनुपालन किया जाएगा।

5. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:

टीआरक्यू स्कीम के तहत यूएसए को दिनांक 01.10.2021 से 30.09.2022 तक निर्यात किए जाने के लिए 8424 मीट्रिक टन (खांड और/अथवा सफेद चीनी) की मात्रा को अधिसूचित किया गया है।

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं

पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 14th October, 2021

No. 28/2015-2020

Subject:-Allocation of quantity of 8424 MT (raw/refined) Sugar to USA under TRQ scheme for the year 2021 22.

F.No.01/91/180/879/AM08/EC (Vol.VIII) /E-20749.—In exercise of powers conferred under Para 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, the Director General of Foreign Trade hereby allocates **quantity of 8424 Metric Ton** of Raw/Refined Sugar, under Tariff Rate Quota (TRQ) to USA for the year 2021-22 (Upto September 30, 2022)

2. As per Notification No. 3/2015-20 dated 20.04.2015, export of sugar (HS Code 17010000) to USA under TRQ is 'Free' subject to the conditions notified in the 'Nature of Restrictions' in the above notification.

3. Certificate of Origin, if required, for preferential export of sugar to USA, shall be issued by Additional Director General of Foreign Trade, Mumbai. Other certification requirement, if any, prescribed specifically for export of sugar to USA would continue to be followed.

4. The reporting requirement as notified vide Notification No. 3/2015-2020 dated 20.04.2015 read with Notification No. 20 dated 07.09.2015 would be followed.

5. Effect of this Public Notice:

The quantity of 8424 MT sugar (raw and/or white sugar) to be exported to USA under TRQ scheme from 01.10.2021 to 30.09.2022 has been notified.

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade

Ex-officio Secy.